रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251787
CG-DL-E-03022024-251787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945
No. 76] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 85(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियमावली जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, तद्द्वारा संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है, और नोटिस एतद्द्वारा दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना के मसौदे के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, वरिष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली-110016 को या akhilesh.g@nic.in और praveen@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (शासी बोर्ड और कार्य परिषद के सदस्यों की योग्यता, अनुभव, मानदेय, भत्ता और सेवा का अन्य निबंधन और शर्त) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं —(1) इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित शासी बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और वाक्यांश इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अभिप्राय होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. **शासी बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव -** (1) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नामित अथवा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य प्रधानमंत्रिय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष परिषद के सदस्य होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के खंड (ख) के अधीन नामित अथवा नियुक्त होने वाला सदस्य वह व्यक्ति होगा जो किसी व्यावसायिक संगठन या उद्योग में अग्रणी पद पहले धारण कर चुका है अथवा वर्तमान में धारण कर रहा है।

(3) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के खंड (ग) के अधीन नामित अथवा नियुक्त किया जाने वाला सदस्य मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभवी होगा।

(4) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के खंड (घ) के अधीन नामित अथवा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और विकास में कार्यरत राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख होंगे या ऐसी संस्था में वरिष्ठ वैज्ञानिक या वरिष्ठ संकाय सदस्य के पद धारक होंगे जिनके पास न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव हो।

(5) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के खंड (ङ) के अधीन नामित अथवा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के पास निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में डॉक्टरेट की उपाधि या अन्य विशेषीकृत शैक्षिक अर्हता होगी-

(i) स्वास्थ्य;

(ii) गणितीय और भौतिक विज्ञान;

(iii) जीव विज्ञान;

(iv) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी;

(v) नवोन्मेष और भागीदारी;

(vi) कम्प्यूटर और सूचना विज्ञान;

(vii)इंजीनियरी,

और उक्त क्षेत्र में अनुभव अवधि न्यूनतम बीस वर्ष की होगी।

4. **शासी बोर्ड के सदस्यों की पदावधि -** शासी बोर्ड के सदस्य नियुक्ति की तारीख से सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी अन्य अवधि तक पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

5. **शासी बोर्ड के नियुक्त सदस्यों के भत्ते -** (1) अधिनियम की धारा 5 के उपखंड (3) के अधीन नियुक्त शासी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, शासी बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने पर, निम्नलिखित के अनुसार भत्ते और व्यय का हकदार होगा:

(क) जहां किसी सदस्य से शासी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से या शासी बोर्ड के कृत्य को करने के प्रयोजन से स्टेशन-बाह्य यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसा सदस्य निम्नलिखित का हकदार होगा-

(i) उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के अनुसार हवाई किराया;

(ii) शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अधिकतम राशि के अध्यधीन वास्तविक आवास व्यय; और

(iii) शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देश अथवा अनुदेश के अनुसार ऐसी यात्रा के अन्य सभी पहलुओं को विनियमित किया जाएगा।

(ख) जहां, शासी बोर्ड का कोई सदस्य उस स्थान का निवासी है जहां शासी बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है, अथवा जहां शासी बोर्ड का कोई अन्य कार्य किया जाता है, तो उस सदस्य को शासी बोर्ड के सदस्य के कार्यालय अथवा निवास के सामान्य स्थान से बैठक स्थल तक शासी बोर्ड के किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए जाने और अपने कार्यालय अथवा निवास स्थल पर वापस आने हेतु उसके द्वारा परिवहन पर किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि जब यात्रा किसी अन्य स्थान से शुरू होती है अथवा वापसी यात्रा किसी अन्य स्थान पर समाप्त होती है, तो यात्रा भत्ते उस राशि तक सीमित होंगे जो तब देय होते जब कार्यालय या निवास के सामान्य स्थान से यात्रा शुरू या समाप्त हुई होती, अथवा वास्तविक रूप में की गई यात्रा के मामलों में देय राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, विशिष्ट परिस्थितियों में, किसी सदस्य के कार्यालय या निवास के सामान्य स्थान से भिन्न स्थान से यात्रा करने का भत्ता प्रदान कर सकता है।

(ग) शासी बोर्ड के सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह यह प्रमाणित न कर दे कि उसने उस यात्रा और ठहराव, जिसके लिए दावा किया गया है, के संबंध में किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(घ) बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसा अन्य भत्ता जो केंद्र सरकार के आयोगों और समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों पर ऐसे आयोग या समिति की बैठकों में भाग लेने पर लागू होता है।

(2) पेंशन और उपदान सहित कोई अतिरिक्त भुगतान राशि शासी बोर्ड के किसी भी सदस्य के लिए शासी बोर्ड हेतु की गई उसकी सेवा के विषय में अनुमत नहीं होगी।

6. **कार्य परिषद के सदस्यों की योग्यता और अनुभव -** अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के खंड (ख) के अधीन नामित अथवा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य-

(क) अकादमिक जगत, लोकोपकारी क्षेत्रक, अनुसंधान प्रयोगशाला और उद्योग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री अथवा अन्य विशिष्ट योग्यता धारक होंगे; और

(ख) अपने क्षेत्र में पंद्रह साल का न्यूनतम अनुभव रखने वाले होंगे।

7. **कार्य परिषद सदस्यों की पदावधि -** कार्य परिषद के सदस्य सामान्यतः नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ऐसी किए अन्य अवधि तक पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

8. **कार्य परिषद सदस्यों के भत्ते-** (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य, जो कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित होता है, निम्नलिखित के अनुसार भत्ता और व्यय का हकदार होगा:

(क) कार्य परिषद का सरकारी सेवक से भिन्न कोई सदस्य, बैठक में उपस्थिति के प्रयोजन से अथवा कार्य परिषद द्वारा उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य निर्वहन के प्रयोजन से उसके द्वारा की गई किसी यात्रा के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए तत्समय प्रवृत्त स्वीकार्य उच्चतम दरों पर बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसा अन्य भत्ता लेने का हकदार होगा।

(ख) कार्य परिषद का कोई सदस्य उस स्थान का निवासी है जहां कार्य परिषद की बैठक आयोजित की जाती है, अथवा जहां कार्य परिषद का कोई अन्य कार्य किया जाता है, तो उस सदस्य को कार्य परिषद के सदस्य के कार्यालय अथवा निवास के सामान्य स्थान से बैठक स्थल तक कार्य परिषद के किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए जाने और अपने कार्यालय अथवा निवास स्थल पर वापस आने हेतु उसके द्वारा परिवहन पर किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि जब यात्रा किसी अन्य स्थान से शुरू होती है अथवा वापसी यात्रा किसी अन्य स्थान पर समाप्त होती है, तो यात्रा भत्ते उस राशि तक सीमित होंगे जो तब दे होते हैं जब कार्यालय या निवास के सामान्य स्थान से यात्रा शुरू या समाप्त हुई होती, अथवा वास्तविक रूप में की गई यात्रा के मामले में देय राशि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव, विशिष्ट परिस्थितियों में, किसी सदस्य के कार्यालय या निवास के सामान्य स्थान से भिन्न स्थान से यात्रा करने का भत्ता प्रदान कर सकता है।

(ग) कार्य परिषद के सदस्य को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह यह प्रमाणित न कर दे कि उसने उस यात्रा और ठहराव, जिसके लिए दावा किया गया है, के संबंध में किसी अन्य स्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(2) पेंशन और उपदान सहित कोई अतिरिक्त भुगतान राशि कार्य परिषद के किसी भी सदस्य के लिए कार्य परिषद हेतु की गई उसकी सेवा के विषय में अनुमत नहीं होगी।

9. **प्रतिष्ठान प्रशासन-** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रतिष्ठान का प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

10. **ऐसे विषय जिनके संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है -** शासी बोर्ड के सदस्यों और कार्य परिषद के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्त संबंधी मामले, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विनिश्चयनार्थ अग्रेषित किए जाएँगे।

11. **शिथिलन शक्ति-**जहाँ केन्द्रीय सरकार का मत है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा, शासी बोर्ड के सदस्यों और कार्य परिषद के सदस्यों के संबंध में इस नियमावली के उपबंधों में से किसी उपबंध में छूट दे सकेगी।

[फा. सं. डीएसटी/एएनआरएफ/जेड-02/2023]

अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

G.S.R. 85(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Senior Adviser, Department of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Delhi – 110016 or by e-mail at akhilesh.g@nic.in and praveen@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation (qualifications, experience, honorarium, allowances, and other terms and conditions of service of Members of the Governing Board and Executive Council) Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

   (a) 'Act' means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

   (b) "President" means a president of the Governing Board referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act;

   (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Qualifications and experience of Members of Governing Board. —** (1) The Members to be nominated or appointed under clause (a) of sub-section (3) of section 5 of the Act shall be Members of the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Council.

(2) The Members to be nominated or appointed under clause (b) of sub-section 3 of section 5 of the Act shall be a person who has previously occupied or currently occupies a position of leadership at a business organisation or an industry.

(3) The Member to be nominated or appointed under clause (c) of sub-section 3 of section 5 of the Act shall possess minimum period of ten years of experience in the field of humanities and social sciences.

(4) The Members to be nominated or appointed under clause (d) of sub-section 3 of section 5 of the Act shall hold the position of head of a national laboratory or research/academic institution engaged in scientific and technological research and development, or senior scientist or senior faculty member in such institution with a minimum period of twenty years of experience.

(5) The Members to be nominated or appointed under clause (e) of sub-section 3 of section 5 of the Act shall possess a doctorate degree or other specialised educational qualification in one or more of the following fields, —

(i) health;

(ii) mathematical and physical sciences;

(iii) biological sciences;

(iv) engineering and technology;

(v) innovation and partnership;

(vi) computer and information sciences;

(vii) engineering,

and shall have minimum period of twenty years of experience in the field.

4. Term of office of Members of Governing Board. — The Members of the Governing Board shall ordinarily hold office for a period of three years from the date of appointment, or such other period as determined by the President, and shall be eligible for reappointment.

5. Allowances for Members of the Governing Board appointed. — (1) Every Member of the Governing Board appointed under sub-clause (3) of section 5 of the Act, attending the meeting of the Governing Board, shall be entitled to allowances and expenses in accordance with the following:—

(a) Where a Member is required to undertake outstation travel for the purpose of attending a meeting of the Governing Board, or for performing the functions of the Governing Board, such Member shall be entitled to —

(i) air fare by the highest class available;

(ii) accommodation expenses at actuals, subject to ceiling amounts as may be approved by the Governing Board from time to time; and

(iii) all other aspects of such travel shall be regulated as per the guidelines or instructions as may be approved by the Governing Board from time to time.

(b) Where a Member of the Governing Board is a resident at a place where the meeting of the Governing Board is held, or where any other business of the Governing Board is transacted, shall be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him, from the usual place of office or residence of Member of the Governing Board to the place of the meeting where such Member has gone to attend any business of the Governing Board and back to his place of office or residence:

Provided that when the journey commences from or the return journey terminates at any other place, the travelling allowances shall be restricted to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of office or residence, or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less:

Provided further that in special circumstances, the President may grant travelling allowance from places other than the usual place of office or residence of a member.

(c) No travelling allowance or daily allowance shall be allowed to a Member of the Governing Board unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(d) Sitting allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and Committees of the Central Government attending the meetings of such Commission or Committee.

(2) No additional amount of payment, including pension and gratuity, shall be admissible to any Member of the Governing Board for service rendered by him to the Governing Board.

6. Qualification and experience of Members of Executive Council. — The Members to be nominated or appointed under clause (b) of sub-section 3 of section 7 of the Act shall —

(a) possess doctorate degree or other specialised qualification in the fields of science and technology in academia, philanthropic sector, research laboratories and industries; and

(b) have minimum period of fifteen years of experience in the field.

7. Term of office of Members of Executive Council. — The Members of the Executive Council shall, ordinarily hold office for a period of three years, or such other period as determined by the President, from the date of appointment and be eligible for reappointment.

8. Allowances for Members of Executive Council. — (1) Every Member of the Executive Council appointed under clause (b) of sub-section (3) of section 7 of the Act, attending the meeting of the Executive Council, shall be entitled to allowances and expenses in accordance with the following:—

(a) A member of the Executive Council, other than a Government servant, shall be entitled to draw sitting allowances, travelling allowances, daily allowances, and such other allowances at the highest rates as admissible to the officials of the Central Government for the time being in force, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Executive Council.

(b) A member of the Executive Council who is a resident at a place where the meeting of the Executive Council is held or where any other business of the Executive Council is transacted, shall be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him, from the usual place of office or residence of member of the Executive Council to the place of the meeting where such Member has gone to attend any business of the Executive Council and back to his or her place of office or residence:

Provided that when the journey commences from or the return journey terminates at any other place, the travelling allowances shall be restricted to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of office or residence, or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less:

Provided further that in special circumstances, the Chairperson or the Member Secretary, may grant travelling allowance from places other than the usual place of office or residence of a member.

(c) No travelling allowance or daily allowance shall be allowed to a member of the Executive Council unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(2) No additional amount of payment, including pension and gratuity shall be admissible to any Member of the Executive Council for service rendered by him to the Executive Council.

9. Administration of Foundation. — The Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology shall be the administrative Ministry for the Foundation.

10, Matters with respect to which no provision has been made. — Matters relating to the terms and conditions of service of the Members of the Governing Board and Members of the Executive Council, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision.

11. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to the Members of the Governing Board and Members of the Executive Council.

[F. No.DST/ANRF/Z-02/2023]

AKHILESH GUPTA, Sr. Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA